न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व संख्या :– 51/2017

वादी	प्रतिवादीगण
ओमप्रकाश पुत्र रामकुंवार जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तह0 मूण्डवा जिला नागौर	1. रामदेव पुत्र भंवरलाल 2. पारसमल पुत्र भंवरलाल 3. रामप्रसाद पुत्र सीताराम 4. हरदीन पुत्र सीताराम 5. जेठमल पुत्र सीताराम 6. पांचाराम पुत्र सीताराम 7. मु. सोनी पत्नी रामदीन 8. जितेन्द्र पुत्र रामदीन 9. पुखराज पुत्र ताराचंद 10. खींवराज पुत्र ताराचंद 11. मु. चुकादेवी पत्नी तारांचद 12. मु. सरजू पत्नी सुन्दरलाल 13. हरीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल 14. दशरथ पुत्र सुन्दरलाल 15. मु. सीता पत्नी संपतलाल 16. सुरेश कुमार पुत्र संपतलाल 17. रमेश पुत्र संपतलाल 18. प्रेम कुमार पुत्र संपतलाल सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 19. सरला पुत्री संपतलाल पत्नी रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी तंवरा तह0 जायल 20. गायत्री पुत्री संपतलाल पत्नी सुनील कुमार जाति ब्राह्मण निवासी भकरी तह0 परबतसर 21. रामाकिशन पुत्र रामकुंवार 22. रतनलाल पुत्र रामकुंवार (फौत) के कायम मुकाम 22.1 मु0 विमला पत्नी रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तह0 मूण्डवा जिला नागौर। 22.2 मु0 निर्मला पत्नी विकास जाति ब्राह्मण निवासी चतरपुरा जयपुर। 22.3 प्रवीण पुत्र रतनलाल 22.4 कु0 अनुराधा पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तह0 मूण्डवा 23. राजाराम पुत्र रामकुंवार जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्वालू, तह0 मूण्डवा जिला नागौर। 24. तहसीलदार मूण्डवा।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वकील वादी
श्री गंगासिंह कालवी,

वकील प्रतिवादीगण
श्री महेन्द्रसिंह राठौड़

राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, विभाजन खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 18/11/20

1– (1) वादी ने वाद पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 23 एक ही पूर्वज के वंशज हैं जिनकी बातोपी की शामलाती कृषि भूमि मौजा ग्वालू तहसील मूण्डवा में खसरा नं. 174 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नं. 436 रकबा 11.16 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 6.13 बीघा व खसरा नं. 499 रकबा 19.03 बीघा तथा खुड़खुड़ा कलां तहसील मूण्डवा में खसरा नं 268 रकबा 41.00 बीघा हैं जिस पर सयुंक्त रूप से काश्त करते आये है तथा एक दुसरे के सहकाश्तकार हैं तथा राजकीय रेकड में भी यह भूमि उनकी खातेदारी में अंकित हैं।

1– (2) यह हैं कि भूमि गत कई वर्षों से यानी पच्चासों वर्षों से पक्षकारान के बीच घरेलू तस्फिया से बंटी हुई हैं इसके अनुसार वादी ओमप्रकाश के बंट में मौजा ग्वालू के खसरा नं. 436 रकबा 11.16 बीघा का आधा पूर्वी भाग रकबा 5.18 बीघा हैं, प्रतिवादी संख्या 23 राजाराम के बंट में खसरा नं. 436 रकबा 11.16 बीघा में से आधा पश्चिमी हिस्सा रकबा 5.18 बीघा व खसरा नं. 438 रकबा 6.13 बीघा सम्पूर्ण रखा हैं। रतनलाल प्रतिवादी संख्या 22 के बंट में खसरा नं. 499 मौजा ग्वालू में से आधा पश्चिमी भाग रकबा 9.12 बीघा रखा हैं व मौजा खुड़खुड़ा कला के खसरा नं. 268 रकबा 41.00 बीघा में से पूर्वी हिस्सा रकबा 20.10 बीघा मु. सीता प्रतिवादी संख्या 15 व उसके लड़के सुरेश, रमेश व प्रेमकुमार क्रमशः प्रतिवादीगण संख्या 16, 17 व 18 के बंट में मौजा ग्वालू के खसरा नं. 499 रकबा 19.03 बीघा में से आधा पूर्वी हिस्सा 9.11 बीघा रखा हैं। इसी प्रकार हरीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल प्रतिवादी संख्या 13 के बंट में खसरा नं. 174 मौजा ग्वालू सम्पूर्ण रखा हैं। इसी प्रकार खसरा नं. 268 मौजा खुड़खुड़ा कलां में से पश्चिमी आधा हिस्सा रकबा 20.10 बीघा दशरथ प्रतिवादी संख्या 14 के बंट में रखा हैं। पक्षकाराना इसी मुजब अपने हिस्से पर काश्त करते हैं व काम में लेते हैं मगर राजकीय रेकर्ड में इस विभाजन का प्रभाव नहीं किया जा सका हैं तथा इस कारण से पक्षकारान के सामने राजकीय लाभ लेने व ऋण आदि लेने में असुविधा रहत हें इसलिए यह दावा विभाजन, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

1– (3) यह हैं कि बाकी जो हिस्सेदार हैं व उनके बंट मे इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं रखा हैं, इसका कारण यह हैं कि उनके बंट में मौजा ग्वालू, संखवास व खुडखुड़ा कलां में अन्य भूमियां इन्हीं पक्षकारान की हैं, जो इनको बंट में दी गई हैं, इसलिए इस भूमि में इनका कोई बंट नहीं हैं, सो नहीं रखा गया हैं।

2– वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 से 23 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह राठौड़ ने दिनांक 06.10.2017 को इकबाली जवाब दावा पेश किया जिसमें दावे के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर वाद पत्र के अनुच्छेद संख्या 6 में मांगी गई दादरसी हैं जो सही हैं जो दावा डिक्री किया जावे व प्रतिवादीगण इसके लिए काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन करते हैं कि प्रतिवादीगण को भी बंट के मुताबिक भूमि की खातेदारी की घोषणा की जावे व बाकी के नाम रेकर्ड से हटाये जावे।

3– वादी ओमप्रकाश के बयान दिनांक 25.02.2019 को करवाये जिससे वादी ने बताया कि मैं व प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार की औलाद हैं। हमारे बापोती की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि मौजा ग्वालू व खुड़खुड़ा कलां में स्थित हैं। ख.नं 174 रकबा 12.12 बीघा, ख.नं. 436 रकबा 11.16 बीघा, ख.नं. 438 रकबा 6.13 बीघा व ख.नं. 499 रकबा 19.03 बीघा यह भूमि मौजा ग्वालू तह0 मूण्डवा में स्थित हैं तथा ख.नं. 268 रकबा 41 बीघा मौजा खुड़खुड़ा कलां तह0 मूण्डवा में स्थित हैं। यह भूमि हमारी बापौती की हैं। अतः इसमें सब का हिस्सा हैं। घरेलू तस्फिया से हमने भूमि बांट रखी हैं। हमारे जो बंट बताये हैं जो दावे के पैरा नं 2 में बताये गये हैं, और इनके अनुसार ही अलग–अलग काश्त करते हैं। इसलिए बताये अनुसार बंटवाड़ा की डिक्री सादिर की जाना न्याय संगत हैं। खतौनी की नकल मौजा ग्वालू की प्रदर्श–1 हैं, जो 2068 से 2071 तक की हैं, मिसल बन्दोबस्त 2020 से 2039 प्रदर्श–2 हैं। पैरा सं. 2 के अनुसार बंटवाड़ा किया जावे।

4– प्रतिवादी संख्या 22 रतनलाल फौत हो जाने से वादी वकील ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का दिनांक 06.10.17 को पेश किया, जिस पर प्रतिवादी वकील ने नो ऑब्जेक्शन किया। अतः वादी वकील का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रतिवादी संख्या 22 स्व0 रतनलाल के कायममुकामान को रेकर्ड पर लिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 22 के कायममुकामान की तरफ से वकालतनामा वकील श्री महेन्द्रसिंह ने पेश किया।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

उपर्युक्त विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री सादिर की जाती हैं :–

मुतदाविया भूमि का विभाजन वादी व प्रतिवादीगण के बीच में कर वादी के बंट में मौजा ग्वालू के खसरा नं. 436 रकबा 11.16 बीघा का आधा पूर्वी भाग रकबा 5.18 बीघा हैं, प्रविादी संख्या 23 राजाराम के बंट में खसरा नं. 436 रकबा 11.16 बीघा में से आधा पश्चिमी हिस्सा रकबा 5.18 बीघा व खसरा नं. 438 रकबा 6.13 बीघा सम्पूर्ण, रतनलाल प्रतिवादी संख्या 22 के कायम मुकाम (विमला पत्नी रतनलाल, प्रवीण पुत्र रतनलाल, अनुराधा पुत्री रतनलाल, निर्मला पत्नी विकास) के बंट में खसरा नं. 499 मौजा ग्वालू में से आधा पश्चिमी भाग रकबा 9.12 बीघा व मौजा खुड़खुड़ा कलां के खसरा नं. 268 रकबा 41.00 बीघा में से पूर्वी हिस्सा रकबा 20.10 बीघा, मु0 सीता प्रतिवादी संख्या 15 व उसके लड़के सुरेश, रमेश व प्रेमकुमार क्रमशः प्रतिवादीगण संख्या 16, 17 व 18 के बंट में मौजा ग्वालू के खसरा नं. 499 रकबा 19.03 बीघा में से आधा पूर्वी हिस्सा 9.11 बीघा, हरीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल प्रतिवादी संख्या 13 के बंट में खसरा नं. 174 मौजा ग्वालू सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 268 मौजा खुड़खुड़ा कलां में से पश्चिमी आधा हिस्सा रकबा 20.10 बीघा दशरथ प्रतिवादी संख्या 14 के बंट कब्जा काश्त खातेदारी के घोषित किये जाते हैं साथ ही उपरोक्त खसरों में से जिनके नाम भूमि बंट में नहीं हैं, उनके नाम हटाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार डिक्री जारी की जाती हैं। रेकर्ड में अमल दरामद हेतु इस निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार मूण्डवा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर